मुन्तकिली प्रकरण सं0 123/2017(RCMS 2017/00227) अनवानी विजय कुमार पुत्र श्री ओंकार राम उर्फ राम कुमार जाति जाट निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ बनाम 1.उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), सूरतगढ 2. वंदना 3. पूजा कुदरतीवली माता रानी उर्फ शकुन्तला पत्नि श्री विजय कुमार 4. रानी उर्फ शकुन्तला पत्नि श्री विजय कुमार 5. परमेश्वरी पत्नि ओंकार उर्फ राम कुमार 6. भीमसैन पुत्र ओंकार उर्फ राम कुमार जाति जाट निवासी दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ 7. उप पंजीयक, सूरतगढ 8. तहीसलदार, सूरतगढ 9. तहसीलदार, बीकानेर

23.07.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित हुए, उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में एक वाद पत्र संख्या 254/2014 अनवानी वन्दना वगै बनाम विजय कुमार वगै. लम्बित है जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 प्रार्थी की पुत्रियां एवं पत्नि है और प्रार्थी का अप्रार्थीया संख्या 4 रानी उर्फ शकुन्तला से दिनांक 22.09.2011 को तलाक डिक्री जारी हो चुकी है तथा अप्रार्थीया संख्या 04 रानी उर्फ शकुन्तला ने अपने जीवनयापन के लिए प्रार्थी से एकमुश्त भरण पोषण राशि प्राप्त कर ली है और वर्तमान में अप्रार्थीयां संख्या 04 ने किसी अन्य व्यक्ति से शादी भी कर ली है इस प्रकार प्रार्थीया संख्या 04 अन्यत्र शादी कर लेने से प्रार्थी के विरूद्ध उक्त वाद पेश करने में सक्षम नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि **अप्रार्थीया संख्या 04 एक राजनैतिक पहुंच वाली व प्रभावशाली महिला है और पीठासीन अधिकारी भी एक महिला ही है। अप्रार्थीयां संख्या 04 अन्य मुकद्दमों में भी अक्सर अधीनस्थ न्यायालय में आती रहती है और पीठासीन अधिकारी से मिलती रहती है** और इस प्रकरण को लेकर पीठासीन अधिकारी पर दबाव भी बना रखा है। अप्रार्थीयां संख्या 04 को कई बार अधीनस्थ न्यायालय के चैम्बर में आते जाते देखा गया है और गांव में भी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थीयां संख्या 04 ऐलानियां कह रही है कि प्रार्थी के 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि में से 3/4 हिस्सा की घोषणा अपने पक्ष में करवाकर ही रहेगी, क्योंकि उसकी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है और पीठासनी अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि आगामी पेशी 04.12.2017 को फैसला उनके पक्ष में हो जायेगा।

प्रार्थी के अधिवक्ता का आगे ये भी कथन है कि अप्रार्थीगण 2 से 4 उक्त वाद के द्वारा जो हक प्राप्त करना चाहते है उसका उन्हें कानूनी कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अप्रार्थीया संख्या 04 जो कि प्रार्थी की तलाकशुदा पत्नि है, ने अपना व अपने बच्चों का हक पहले ही तलाक की डिक्री के जरिए प्राप्त कर लिया है केवल मात्र प्रार्थी को तंग व परेशान की नियत से दावा पेश किया गया है। अप्रार्थीया संख्या 04 द्वारा एलानिया कहने से प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि उनका प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का भी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

मैने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त तर्कों पर मनन किया और उनके द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 254/2014 अनवानी वन्दना वगैरा बनाम विजय वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.11.2017 को पेश किया है। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण के गुण दोष पर कोई विचार नहीं करना है कि आया अप्रार्थीया संख्या 04 के द्वारा तालाक डिक्री प्राप्त कर, उसने अपना व अपने बच्चो की एक मुश्त राशि प्राप्त कर ली है। केवल मात्र यह देखना है कि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

से किसी सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से मुंतकिल किये जाने योग्य है अथवा नहीं? प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया संख्या 4 राजनैतिक पहुंच वाली एक प्रभावशाली महिला है तथा पीठासीन अधिकारी भी एक महिला ही है, जो उसके प्रभाव में है, यह आरोप एक साधारण प्रकृति का है। मुकद्दमा मंतकिली के लिए कोई ऐसा ठोस आधार होना आवश्यक है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि अगर वास्तव में प्रकरण को मुंतकिल नहीं किया गया तो प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा। ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से मुन्तकिल किया जाना उचित प्रतीत हो। अतः प्रार्थीगण मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर